Regd Post

1.45020/1/2014-Pers-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Pers-II

North Block, New Delhi
Dated the 24.07.2014

To

Shri Sunil Kumar S/o Shri Gorakh Prashad
Village Jamuni Burwan, Post Mundera (Captanganj)
District Kushinagar, Uttar Pradesh -274301

Subject: - **Right to Information, Act, and 2005- Selection/appointment letter for the post of ASI in CISF - regarding.**

Sir

Please refer to your RTI application dated 02.07.2014 received through RTI Cell, MHA vide their OM dated 15.07.2014 on the subject cited above.

2. Since the information sought by you pertains to Director (Pers.I), MHA as such, your aforesaid RTI application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Director (Pers.I) & CPIO, MHA for giving reply/information to you.

3. In case you are not satisfied with this reply, the appeal in the case lies with Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Joint Secretary (Police-II), MHA. The appeal may be filed within 30 days from the date of receipt of this reply.

Yours faithfully,

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
) 23092933

Copy along with a copy of RTI application dated 02.07.2014 of Shri Sunil Kumar is transferred under Section 6(3) of RTI Act, 2005 to:

Shri Harish Chander, Director(Pers.1) & CPIO, North Block, MHA, New Delhi for giving the reply directly to the applicant.

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
) 23092933

Copy to:-

1. IT Cell, MHA for uploading the data on MHA's website.

2. Shri S.Samanta, Under Secretary, RTI Cell, North Block, MHA with reference to his OM dated 08.07.2014.

(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
) 23092933

R- 1225/Pers-I/14
24/07/14

17/7/14

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014 आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 15/07/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार ~~के दिनांक~~ 02/07/2014 ~~के आवेदन (इस मंत्रालय में~~ ....से अंतरण द्वारा दिनांक: 08/07/2014 को प्राप्त) को पुलिस-II प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 09/07/2014 की रसीद सं. 29484 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (कार्मिक)
गृह मंत्रालय
नोर्थ ब्लाक

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ सुनील कुमार
ग्राम जमुनी बरवां
पोस्ट मुडेरा (कप्तानगंज)
जिला - कुशीनगर - 274301, उत्तर प्रदेश।

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

The Ist para relates to ASF(DR) in CSSF. Relates to Pers I Sec.
24/7/14

This is an RTI applied to be properly transferred
24/7

US(Pers-II)

3902/RTI/MHA/2014
14/7/14

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
08 JUL 2014
के.र.सं.......761
C.R. No.
सी.आर. अनुभाग/CR Section/North Block

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी महोदय
गृह मंत्रालय नई दिल्ली

विषय - सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मै 10 मई 2007 से सशस्त्र सीमा बल (गृह मंत्रालय) के 23वी वहिनी भैरवकुंडा उदालगुरी (असम)मे सिपाही पद पर कार्यरत था.मै अपने सेवा काल के दौरान उच्च अधिकरीयों से अनुमति लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा दिया जिसमे कि प्रार्थि का पुनः चयन 'कर्मचारी चयन आयोग' के परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल मे सहायक उप निरीक्षक पद पर हुआ तथा केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरक्कोणम,वेल्लुर जिला,(तमिल्नाडु) से मुझे ज्वाईन लेटर के माध्यम से 06 जुलाई 2013 को बुलाया गया था | जब मुझे ज्वाईन लेटर मिला तो मैने अपने विभाग मे तकनिकी त्यागपत्र दे दिया| सेनानायक 23वी वहिनी स.सी.ब. ने मेरा तकनिकी त्यागपत्र 01 जुलाई 2013 को स्वीकार करते हुए मुझे केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल मे सहायक उप निरीक्षक पद को ज्वाईन करने की अनुमती प्रदान किया|

केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल ने ज्वाईन लेटर के साथ पुलिस वेरिफिकेशन फार्म,चरित्र प्रमाण पत्र एवं एक प्रश्नावली पत्र भेजा गया था|

मै अपने समस्त विवरन को मांगे गये अधिकारी द्वारा सत्यापन काराकर एवं पुलिस बेरिफिकेशन करा कर ले गया था किसी भी अधिकारी या पुलिस को मुझे केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल मे ज्वाईन करने पर कोई भी आपत्ति नही था | चुंकी मै अवगत करा देना चाहता हूं कि सन् 2003 मे जब मै 15-16 वर्ष का था तब मेरे सगे चाचा ने तो मुझे तथा मेरे भाई को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर 160,323,504 भा.द.स्. मे फसॉ दिया था,जिसमे कि न्यायालय कसया (कुशीनगर) के न्यधीश महोदय ने 15 जुलाई 2010 को फैशला सुनाते हुए हम सभी आरोपीयों को निर्दोश करार दिया | जिसका पुलिस सत्यापन सशस्त्रा सीमा बल (गृह मंत्रालय) भी कर चुकी है |

किंतु प्रश्नावली मे पुछे गये प्रश्न कि
'आप के उपर कभी कोई मुकदमा चलाया गया है|'
मे 'हॉ' का जबाब देते हुए मैंने अपनी सत्यता को बताया|

किंतु उसी मुकदमे के आधार पर केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल ने मुझे ज्वाईन करने से मना कर दिया तथा यह कह कर 09/07/2013 को वापस भेज दिया कि आप के फाईल को अब स्क्रेनिंग कमेटी (केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल), गृह मंत्रालय के दिये गये निर्देश MHA UO NO.I.14020/6/2010-Pers.II dated 01.02.2012 के अनुसार जब हॉ कह देगी तब आप को बुला लिया जयेगा |

केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल के स्क्रेनिंग कमेटी ने हमको एक लेटर भेजा कि आप उक्त पद के लिये पात्र है और आपको को साल जुन - जुलई 2014 कि सम्भावित बैच मे नई ज्वाईन लेटर भेज कर बुला लिया जाएगा |

महोदय से अनुरोध है कि निम्नलिखीत बिंदुओ पर सुचना उपलब्ध कराने कि कृपा करे |

1- जब गृह मंत्रालय ने सभी अर्ध सैनिक बल को निर्देश MHA UO NO.I.14020/6/2010-Pers.II dated 01.02.2012 दे चुका है और सभी अर्ध सैनिक बल नियुक्ति उक्त निर्देश के अनुसार नई नियुक्ति करते समय ही स्क्रेनिंग कमेटी का गठन करते है तो केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल स्क्रेनिंग कमेटी का गठन कुछ दिन बाद क्यो करती है |

2- एक सैनिक जो गृह मंत्रालय के एक बल मे कार्यरत है और उसी मंत्रालय के अधीन दुसरे बल मे उच्च पद पर तकनिकी त्यागपत्र लेकर ज्वाईन करने के लिए जाता है और गृह मंत्रालय के निर्देशन के बाद भी उस अभ्यार्थी कि ज्वाईन पर रोक लगा दिया जाता

Dir (Pers)

है तो उस बीच हुए आर्थिक नुकसान और अन्य किसी दुर्घटना या अनहोनी की भरपाई कौन करेगा या उसका जिम्मेदार कौन होगा।

3- स्क्रेनिंग कमेटी के अनुसार जो अभ्यार्थी एक वर्ष बाद ज्वाईन करेगा उसकी बरिष्ट्ता (seniority) कबसे होगी तथा जुलाई मे होने वाला वेतन बृद्धि (increase in salary) दिया जयेगा कि नही, अगर नही तो क्यो?

4- मेरे साथ ही एक अभ्यार्थी जो कि सशस्त्र सीमा बल मे कार्यरत था और उसका मुकदमा न्यायालय मे विचाराधिन है और उसका चयन भी मेरे साथ वाले परिक्षा के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल मे उप निरीक्षक पद पर पर हुआ और सीमा सुरक्षा बल ने उसको उसी समय से ज्वाईन करा लिया क्योकि वह एक प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक है तो फिर मेरे साथ केंद्रीय औधौगिक सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) द्वारा इस तरह कि असमानता क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन से अधिकारी/पदधिकारी होंगे|

उक्त सभी मामले मे कौन दोषी होगा सुचना हिंदी मे उपलब्ध कराने कि कृपा करे|

आवेदन के साथ 10 रूपये का पोस्टल आर्डर जमा कर रहा हूं।

आवेदक

SKumar
21/07/2014.

सुनील कुमार पुत्र गोरख प्रसाद
ग्राम - जमुनी बरवाँ
पोस्ट – मुंडेरा (कप्तानगंज)
जिला – कुशीनगर (उ0 प्र0)
274301
मो0 न0 (+91) 9454103021, 8858481077